

### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग I—खण्ड I PART I—Section I प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2016/चैत्र 24, 1938 No. 112] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2016/CHAITRA 24, 1938

### वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(अवसंरचना अनुभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2016

**फा. सं. 13/6/2009-इंफ्रा.**—सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवसंख्वना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलिलत मास्टर सूची (अनुबंध-I) एतद्द्वारा अधिसूचित की जाती है। नई सूची में 13 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना में निम्नलिखित परिवर्तन सम्मिलित किए जाएंगे।

1. ''परिवहन'' की श्रेणी के अंतर्गत नया उप-क्षेत्र ''पोत कारखाना'' जोडा गया है।

शर्मिला चावलि, संयुक्त सचिव (अवसंरचना)

# अनुबंध-I

# अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची

क्र.सं.	श्रेणी	अवसंरचना उप-क्षेत्र
1	2	3
1.	परिवहन	• सड़क और पुल
		• पत्तन <sup>1</sup>
		• पोत कारखाना <sup>2</sup>
		• अन्तर्देशीय जलमार्ग
		• एयरपोर्ट
		• रेलवेमार्ग, सुरंग, सेतु, पुल³
		• शहरी लोक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टाक के सिवाय)

1829 GI/2016 (1)

1	2	3
2.	কর্जা	• विद्युत उत्पादन
		• विद्युत पारेषण
		• विद्युत वितरण
		• तेल पाईपलाइनें
		• तेल/गैस/द्रवीभूत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा⁴
		• गैस पाईपलाइनें <sup>ऽ</sup>
3.	जल और	• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
	स्वच्छता	• जल आपूर्ति पाईपलाइनें
		• जल शोधन संयंत्र
		• मलव्यय संग्रहण, प्रबंधन तथा निपटान प्रणाली
		• सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध आदि)
		• स्टोर्म वाटर निकासी प्रणाली
		• पतले मसाले की पाईपलाइनें
4.	संचार	• दूर संचार (फिक्स्ड नेटवर्क)
		• दूरसंचार टावर
		• दूरसंचार और दूरसंचार सेवाएं
5.	समाजिक तथा	• शिक्षण संस्थाएं (कैपिटल स्टाक)
	वाणिज्यक	• अस्पताल (कैपिटल स्टाक) <sup>7</sup>
	अवसंरचना	• 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर अवस्थित तीन-सितारा अथवा उच्चतर
		श्रेणी के वर्गीकृत होटल
		• औद्योगिक पार्को तथा फूड पार्कों, टैक्सटाईल पार्कों, विशेष आथिक क्षेत्र, पर्यटन सुविधा तथा
		कृषि बाजार जैसी औद्योगिक गतिविधि सहित अन्य पार्कों हेतु साझी अवसंरचना
		• कृषि तथा बागवानी उत्पाद हेतु शीत भंडारण सहित कटाई उपरान्त भण्डारण अवसंरचना
		• टर्मिनल बाजार
		• मृदा-परीक्षण प्रयोगशालाएं
		• प्रशीतन श्रृंखला <sup>s</sup>
		• भारत में किसी भी स्थान पर स्थित वे होटल जिनमें प्रत्येक की परियोजना लागत <sup>9</sup> 200 करोड़
	रुपये से अधिक	की है और वे किसी भी स्टार रेटिंग के हैं,
		<ul> <li>सम्मेलन केंद्र जिनमें प्रत्येक की परियोजना लागत<sup>9</sup> 300 करोड़ रुपये से अधिक है।</li> </ul>

1. बड़े तलकर्षण शामिल हैं।

- 2. ''पोत कारखाने'' को तैरती हुई अथवा तटीय, घुमावदार बंदरगाह, लंगरगाह और डॉकिंग सुविधा, जलावतरण मंच और/अथवा पोत उठाव की आवश्यकता विशेषताओं के चलते भू–आधारित सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है, और जो पोत निर्माण/मरम्मत/पोत तोड़ने के कार्यकलाप करने में सक्षम है।
- 3. लोडिंग/अनलोडिंग टर्मिनलों, स्टेशनों तथा भवनों जैसी सहायक टर्मिनल अवसंरचना शामिल हैं।
- 4. कच्चे तेल का महत्वपूर्ण भंडारण शामिल है।
- 5. शहरी गैस संवितरण नेटवर्क शामिल है।
- 6. आप्टिक फाइबर/वायर/केबल नेटवर्क, जो ब्राडबैण्ड/इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं, शामिल हैं।
- 7. चिकित्सा कालेज, पैरा-चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान तथा नैदानिक केंद्र शामिल हैं।
- 8. कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु खेत स्तर की प्री-कूलिंग हेतु प्रशीतन कक्ष सुविधा शामिल है ।
- 9. दिनांक 8/10/2013 (संदर्भ राजपत्र अधिसूचना संख्या 225) से तीन वर्षों के भावी प्रभाव के लिए पात्र परियोजनाओं हेतु उपलब्ध; पात्र लागत में भूति की लागत तथा पटटे के प्रभार शामिल नहीं हैं परंतु निर्माण के दोरान ब्याज शामिल है।

## MINISTRY OF FINANCE

# (Department of Economic Affairs)

(INFRASTRUCTURE SECTION)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th April, 2016

**F.No.13/6/2009-INF.**—With the approval of the Competent Authority, an updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors (**Annexure-I**) is hereby notified. The new list incorporates the following change to the notification dated 13<sup>th</sup> October, 2014:

1. Under the category of "Transport" a new sub-sector – "Shipyards" is added.

SHARMILA CHAVALY, Jt. Secy. (Infra)

**Annexure-I** 

## **Updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors**

Sl.No.	Category	Infrastructure sub-sectors
1	2	3
1.	Transport	• Roads and bridges
		• Ports <sup>1</sup>
		• Shipyards <sup>2</sup>
		• Inland Waterways
		• Airport
		• Railway Track, tunnels, viaducts, bridges <sup>3</sup>
		• Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)
2.	Energy	• Electricity Generation
		• Electricity Transmission
		• Electricity Distribution
		• Oil pipelines
		<ul> <li>Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility<sup>4</sup></li> </ul>
		• Gas pipelines <sup>5</sup>
3.	Water and Sanitation	Solid Waste Management
		Water supply pipelines
		Water treatment plants
		• Sewage collection, treatment and disposal system
		• Irrigation (dams, channels, embankments, etc.)
		• Storm Water Drainage System
		• Slurry Pipelines
4.	Communication	• Telecommunication (fixed network) <sup>6</sup>
		• Telecommunication towers
		• Telecommunication & Telecom Services
5.	Social and Commercial	• Education Institutions (capital stock)
	Infrastructure	• Hospitals (capital stock) <sup>7</sup>

1 2 3

- Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million
- Common infrastructure for Industrial Parks and other parks with industrial activity such as food parks, textile parks, Special Economic Zones, tourism facilities and agriculture markets
- Post-harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce
- including cold storage
- Terminal markets
- Soil-testing laboratories
- Cold Chain8
- Hotels with project cost<sup>9</sup> of more than Rs. 200 crores each in any place in India and of any star rating
- Convention Centers with project cost<sup>9</sup> of more than Rs. 300 crores each.
- Includes Capital Dredging
- "Shipyard" is defined as a floating or land-based facility with the essential features of waterfront, turning basin, berthing and docking facility, slipways and/or ship lifts, and which is self sufficient for carrying on shipbuilding/repair/breaking activities.
- <sup>3</sup> Includes supporting terminal infrastructure such as loading/unloading terminals, stations and buildings.
- <sup>4</sup> Includes strategic storage of crude oil.
- <sup>5</sup> Includes city gas distribution network.
- <sup>6</sup> Includes optic fibre/wire/cable networks which provide broadband / Internet.
- <sup>7</sup> Includes Medical Colleges, Para Medical Training Institutes and Diagnostics Centres.
- 8 Includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage of agriculture and allied produce, marine products and meat.
- Available with prospective effect for three years from 8/10/2013 (reference Gazette Notification No.225) for eligible projects; Eligible costs exclude cost of land and lease charges but include interest during construction.

\*\*\*\*\*